



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या :-2152/जीसीएओछ:/29ए/2003

दिनांक :-12 सितम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1918/जीसीएओछ:/29ए/2003 दिनांक 13.08.2015, कार्यालय ज्ञाप संख्या-322/जीसीएओछ:/29ए/2003 दिनांक 10.12.2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-3668/जीसीएओछ:/29ए/2003 दिनांक 29.12.2016 के अनुक्रम में अप्रैल, 2019 से मार्च, 2021 तक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (ट्रान्सको एवं केस्को को सम्मिलित करते हुए) में 60 वर्ष की निर्धारित अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर अधोनामित लेखाकारों को उनके नाम के सम्मुख इंगित तिथियों से सेवानिवृत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	नाम/पिता का नाम/गृहजनपद (सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	तैनाती/सम्बद्ध इकाई का नाम
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2	स्तम्भ-3	स्तम्भ-4	स्तम्भ-5
1.	अनिल कुमार सिंह/भगवान बक्श सिंह/(लखनऊ)	27.04.1959	30.04.2019	मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, 4ए, गोखले मार्ग, लखनऊ (उ०प्र० पाकालि में आमेलित)
2.	योगेन्द्र नाथ सक्सेना/रामेश्वर प्रसाद सक्सेना/(लखनऊ)	15.06.1959	30.06.2019	सम्प्रेक्षा अनुभाग, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
3.	सुशील कुमार शुक्ल/राम कुमार शुक्ल/(उन्नाव)	25.06.1959	30.06.2019	जी.पी.एफ. ट्रस्ट, उ०प्र० पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
4.	अरविन्द सिंह/रामजन सिंह/(गोरखपुर)	01.01.1960	31.12.2019	सम्प्रेक्षा अनुभाग, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
5.	अमर सिंह वर्मा/स्व० राम दुलारे वर्मा/(बाराबंकी)	10.01.1960	31.01.2020	सामान्य प्रशासन अनुभाग, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
6.	बशीर सज्जाद/स्व० मिर्जा सज्जाद हुसैन/(फैजाबाद)	23.06.1960	30.06.2020	मुख्यालय भुगतान, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
7.	संजय कपूर/सत्य मोहन कपूर/(लखनऊ)	14.02.1961	28.02.2021	उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सी.पी.एफ. ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
8.	अजय कुमार श्रीवास्तव/स्व० सजीवन लाल श्रीवास्तव/(उन्नाव)	06.02.1961	28.02.2021	कारपोरेट लेखा, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
9.	राजपति सिंह यादव/स्व० सँवरु सिंह यादव/(गाजीपुर)	10.03.1961	31.03.2021	वेतन एवं लेखा अनुभाग, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित लेखाकारों को स्तम्भ संख्या-4 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

—कमश:—2

किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके लेखाकारों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं लेखाकार की विधिक जिम्मेदारी होगी।

नियंत्रक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिक को पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्त होने से पूर्व यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समय से पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सके एवं सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण की जाँच समय से करना एवं अदेयता प्रमाण पत्र इत्यादि भी निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाए।

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

संख्या :-2152/जीसीएओछ:/29ए/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (वित्त), मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, 4ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), मध्यांचल वि०वि०नि०लि०, 4ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (सीपीएफ ट्रस्ट)/उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट (जीपीएफ), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (पेंशन)/(वेतन एवं लेखा)/(मुख्यालय भुगतान), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अनुसचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अनुसचिव (लेखन सामग्री), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशासी अभियन्ता, वेब साईट, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सहायक लेखाधिकारी (प्रशासन), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. सम्बन्धित लेखाकार/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(महेश चन्द्र पाण्डेय)
लेखाधिकारी (प्रशासन)

संख्या :-2152/जीसीएओछ:/29ए/2003 तददिनांक :- 12.09.2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखाकारों के विभागीय आवास के संदर्भ में अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे कि लेखाकारों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
2. मुख्य अभियन्ता (जानपद), द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, नवम् तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त कार्मिकों को विभागीय आवास रिक्तता तथा अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. उप सचिव (अनुशासनिक कार्यवाही), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखाकारों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही/जाँच इत्यादि यदि कोई हो तो यथा समय पूर्ण/निर्णय कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे कि लेखाकारों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।
4. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा-महास्तार), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले लेखाकारों को मकान/स्कूटर अग्रिम के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि लेखाकारों के नैवृत्तिक लाभों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(महेश चन्द्र पाण्डेय)
लेखाधिकारी (प्रशासन)